02.08.2023 –

पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वंय अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नही आये।

अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।